(५५)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 350/VII-1/2018/15 अपील/17
देहरादूनःदिनांकः 08 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश संख्या–838(3)/खनन सहायक/2017–18, दिनांक 15.9.2017 द्वारा दुर्गा स्टोन क्रेशर, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर स्थल पर स्टॉक से 8363 घनमीटर उपखनिज कम पाये जाने तथा स्टोन क्रेशर द्वारा अवैध रूप से 5404 घनमीटर के गड्ढे खोदे जाने, इस प्रकार कुल 13767 घनमीटर उपखनिज का खुदान/भण्डारण अवैध रूप से किये जाने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली यथा संशोधित उत्तराखण्ड (अनुकूलन एवं उपान्तरण), 2011 एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) यथासंशोधित नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार रु0 2,00,000/–लाख अर्थदण्ड तथा उपखनिज मात्रा पर रायल्टी का पांच गुना धनराशि अर्थात् रु0 1,01,00,590.00 कुल रु0 1,03,00,590.00 की धनराशि आरोपित करते हुए उक्त धनराशि एक माह के भीतर जमा कराये जाने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी, हरिद्वार के उक्त आदेश दिनांक 15.9.2017 के विरूद्ध दुर्गा स्टोन क्रेशर/दुर्गा ग्रामोद्योग समिति, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार द्वारा शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपीलार्थी द्वारा शासन के समक्ष योजित अपील के अतिरिक्त जिलाधिकारी, हरिद्वार के उक्त आदेश दिनांक 15.9.2017 के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका सं० 2890/एम०एस०/ 2017, दुर्गा ग्रामोद्योग समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य योजित की गई है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"Accordingly, the writ petition is disposed of with direction to the appellate authority to decide the stay application filed by the petitioner with his appeal within a period of three weeks from the date of production of certified copy of this order. Meanwhile, it is provided that if petitioner deposits a sum of Rs. 10 lacs with the District Magistrate, Haridwar on or before 31.11.2017, in that case he shall be permitted to operate his Stone Crusher and no coercive action shall be taken against the petitioner pursuant to order dated 15.09.2017 for a period of three weeks (Stay application stands disposed of accordingly)

Pending application, if any, also stands disposed of accordingly."

3. मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेश दिनांक 17.11.2017 के क्रम में श्री सत्य प्रकाश वत्स, मै० दुर्गा ग्रामोद्योग समिति, दुर्गा स्टोन क्रेशर, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.11.2017 के माध्यम से रु0 10.00 लाख की धनराशि चालान के माध्यम से जमा किये जाने संबंधी अभिलेख तथा तद्नुसार जिलाधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित पत्र दिनांक 27.11.2017 की छायाप्रति शासन को उपलब्ध कराते हुए शासन में योजित अपील पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण के संबंध में शासन स्तर पर दिनांक 11.1.2017 को सुनवाई निर्धारित की गई तथा निर्धारित सुनवाई की तिथि से पत्र सं० 2032/VII-1/2017/15 अपील/17, दिनांक 03 जनवरी, 2018 के द्वारा अपीलकर्ता श्री सत्य प्रकाश वत्स, दुर्गा स्टोन क्रेशर/दुर्गा ग्रामोद्योग समिति, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार को संसूचित करते हुए सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 11.1.2018 को हुई सुनवाई में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

1. अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री प्रमोद कुमार चौहान, खनन सहायक, कलैक्ट्रेट, हरिद्वार।
3. श्री डी०एन० त्रिपाठी, एडवोकेट, प्रतिनिधि मै० दुर्गा ग्रामोद्योग समिति, दुर्गा स्टोन क्रेशर, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।

4. उक्त सुनवाई में मै० दुर्गा ग्रामोद्योग समिति, दुर्गा स्टोन क्रेशर, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्टोन क्रेशर द्वारा उपखनिज का प्रयोग स्टोन क्रेशर पर रैम्प तथा डग के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया। स्टोन क्रेशर पर प्रपत्र एल के अनुसार कोई उपखनिज की कमी नहीं है और न ही उपखनिज का अवैध रूप से परिवहन किया गया है। स्टोन क्रेशर पर जो गड्ढे खोदा जाना दर्शाया गया है, वह गड्ढे न होकर भूमि ऊबड़–खाबड़ है। स्टोन क्रेशर द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य

–2

नहीं किया गया है और न ही अवैध रूप से क्रय–विक्रय किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि तहसीलदार चूँकि जॉच हेतु अधिकृत नहीं है। अतः उनकी जॉच रिर्पोट के आधार पर कार्यवही नहीं की जा सकती है।

5. सुनवाई में उपस्थित जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिनिधि खनन सहायक, कलैक्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा संगत स्टोन क्रेशर के दिनांक 28.5.2017 को तहसीलदार, भगवानपुर की उपस्थिति में राजस्व विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण आख्या एवं अन्य संगत अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा यह अवगत कराया गया कि तहसीलदार, भगवानपुर की आख्या दिनांक 12.6.2017 अनुसार जिलाधिकारी, हरिद्वार दिये गये निर्देशों के प्रश्नगत स्टोन क्रेशर की जांच की गई। जांच के समय स्टोन क्रेशर बन्द पाया गया तथा स्टोन क्रेशर पर भण्डारण की स्वीकृति प्राप्त है। तहसीलदार, भगवानपुर की आख्यानुसार प्रपत्र एल के अनुसार स्टॉक 52588 घनमीटर तथा स्थल पर उपलब्ध बजरी आदि की मात्रा 44225 घनमीटर पाई गई। इस प्रकार स्टोन क्रेशर स्थल पर स्टॉक से 8363 घनमीटर उपखनिज कम पाया गया। इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अवैध रूप से 5040 घनमीटर गड्ढे खोदे गये है। तहसीलदार, भगवानपुर की आख्यानुसार स्टोन क्रेशर पर पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए स्टोन क्रेशर को सीज किया गया।

6. सुनवाई के दौरान यह भी संज्ञान में लाया गया कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 2890/एम०एस०/2017, दुर्गा ग्रामोद्योग समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा रु0 10.00 लाख की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये जाने संबंधी चालान की छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं, किन्तु मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 17.11.2017 की सत्यापित प्रति उपलब्ध न कराते हुए छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश क अनुपालन में अपीलार्थी को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी जो अभी तक अप्राप्त है।

7– सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा सभी पक्षों को विधिवत सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों/प्रपत्रों का विधिवत अवलोकन किया गया।

8– अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के समय यह कहा गया कि तहसलीदार जॉच हेतु अधिकृत नहीं है, अतः उनकी जॉच रिर्पोट के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस क्रम में सभी तथ्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि तकनीकी रूप से तहसीलदार जॉच हेतु भले सक्षम अधिकारी न हो, किन्तु मौके पर तहसीलदार, जिलाधिकारी के आदेश पर गये है, इसलिए उनकी जॉच रिर्पोट पर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है, यदि इससे प्रमाणित रूप से अवैध खनन की पुष्टि होती हो। शासन स्तर से परीक्षण करने पर पाया गया कि जॉच का कार्य राजस्व विभाग की टीम ने किया है तथा टीम द्वारा जांच करने के उपरान्त ही कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। जांच टीम की रिपोर्ट से अवैध खनन की पुष्टि हुयी है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा अवैध खनन नहीं किया गया है। उसके स्टॉक में मात्रा कम होने का भी अपीलार्थी द्वारा कोई सकारात्मक कारण नहीं बताया गया है।

9– सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा जांच के दौरान की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुये मौके पर उपलब्ध डस्ट, कोर सैण्ड, बजरी, आर0बी0एम0 आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, गड्ढे आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गयी जांच तथा उसमें उल्लिखित तथ्यों को गलत साबित किया जा सके या इसे सही मानने से इन्कार किया जा सके।

10– अपीलार्थी द्वारा उप खनिज की मात्रा कम पाये जाने के क्या कारण हैं, इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने में सफल नहीं रहा है। मात्र मौखिक रुप से उसके द्वारा यह कहा गया है कि उसकी मात्रा, प्रपत्र–'L' के अनुसार सही है किन्तु इसके प्रमाण स्वरुप वह कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है।

11– स्टोन क्रेशर की बाउण्ड्री के बाहर किये गये अवैध खनन के बारे में अपीलार्थी द्वारा मौखिक रुप से कहा गया कि यह गड्ढा उसके द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि यह गड्ढे उसके द्वारा नहीं किये गये हैं।

राजस्व विभाग की टीम की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि स्टोन क्रेशर की चहारदीवारी के बाहर गड्ढे

–3

किये गये हैं तथा यह गड्ढे किसी और के द्वारा किये जाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि यह इनके सबसे नजदीक है तथा इनके कब्जे की भूमि है। अपीलार्थी के क्रेशर पर हमेशा ही कोई न कोई व्यक्ति/चौकीदार आदि रहता है, ऐसे में किसी और के द्वारा यह खनन किया जा रहा था तो अपीलार्थी द्वारा सक्षम स्तर पर इसकी शिकायत नहीं की गयी। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्टोन क्रेशर की चहारदीवारी के बाहर किये गये खनन कार्य इनके द्वारा ही किया गया है तथा इस कार्य हेतु इनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही नियम संगत है।

उक्त सुनवाई में अपीलार्थी के प्रतिनिधि के कथन एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

आदेश

अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई में जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 15.9.2017 के विरूद्ध कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा तहसीलदार, भगवानपुर द्वारा दिनांक 28.5.2017 को राजस्व विभाग की टीम के साथ किये गये निरीक्षण की संयुक्त निरीक्षण आख्या, फर्द सीलिंग कार्यवाही आदि अभिलेख उपलब्ध कराया गये, जिसके आधार पर जिलाधिकारी, हरिद्वार के उक्त आदेश दिनांक 15.9.2017 द्वारा प्रश्नगत स्टोन क्रेशर पर पाई गई अनियमितताओं के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली यथा संशोधित उत्तराखण्ड (अनुकूलन एवं उपान्तरण), 2011 एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित में निहित प्रावधानानुसार उक्तानुसार धनराशि आरोपित की गई है। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.9.2017 द्वारा प्रश्नगत स्टोन क्रेशर पर प्रपत्र " एल " स्टॉक रजिस्टर के सापेक्ष स्थल पर 8363 घन मीटर उपखनिज कम पाये जाने तथा स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अवैध रुप से 5404 घन मीटर के गड्ढे खोदे जाने, इस प्रकार 13767 घन मीटर उप खनिज का खुदान/भण्डारण अवैध रुप से पाये जाने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 15.9.2017 की पुष्टि की जाती है तथा इसे यथावत् रखने का आदेश पारित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के क्रम में रू 10 लाख जमा किये जाने के बारे में अवगत कराया गया है, अतः उस पर आरोपित धनराशि में से इस धनराशि को कम किया जाना उचित होगा। अतः जिलाधिकारी, हरिद्वार को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा रू0 10 लाख जमा कराये जाने की पुष्ठि करते हुए तथ जमा धनराशि को आरोपित धनराशि रू0 1,03,00,590.00 में से कम करते हुए शेष धनराशि जमा कराये जाने हेतु नियम संगत कार्यवाही करें। उपरोक्तोनुसार निर्धारण करते हुए अपील निस्तारित एवं निर्णित की जाती है।

विनोद कुमार सुमन
अपर सचिव

संख्याः 350 **(1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को रिट याचिका सं० 2890/एम०एस०/ 2017, दुर्गा ग्रामोद्योग समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (खनन), उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. श्री सत्य प्रकाश वत्स, मै० दुर्गा ग्रामोद्योग समिति, दुर्गा स्टोन क्रेशर, बंजारावाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

06.02.18

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव